N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0314 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/12/2024 18:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:45 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/12/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/12/2024 18:14:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** VIJAY LABORATORY KE PASS, JILA CHIKITSALAY BEHROR, JILA KOTPUTLI-BEHROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BILLU URF SHYOTAJ YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** AMEELAL YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM PRATAPSINGH PURA, NEEMRANA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM PRATAPSINGH PURA, NEEMRANA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.DEVENDRA KUMAR DEV		पिता:LAXMAN PRASAD	1. GRAM POST RAJPUR BADA,RAJGARH,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2024 को वक्त करीब समय 2.25 पीएम पर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव पुत्र श्री अमीलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापसिंह पुरा तहसील नीमराना पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड ने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कर अवगत कराया कि उसके पडोसियां के साथ दिनांक 25.03.2024 को भूमि विवाद को लेकर आपसी झगडा /मारपीट होने से उसके पडोसी सीताराम द्वारा पुलिस थाना नीमराना में अपराध संख्या 158/2024 दर्ज करवाया है जिसमें उसका स्वयं का नाम एवं उसकी पुत्री पुष्पा व पुत्र सचिन का नाम एफआईआर में नामजद करवाया हुआ है जिसकी जाँच श्री ओमप्रकाश सउनि द्वारा की जा रही थी तथा अब उक्त प्रकरण की जाँच श्री बनवारी लाल एसएचओ मांढण द्वारा की जा रही है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दी गई मैडीकल तहरीर पर चिकित्सा अधिकारी श्री देवेन्द्र देव जिला हास्पिटल बहरोड द्वारा एमएलसी में कम चोटे दिखाने और केस को हल्का करवाने एवं पुत्री पुष्पा का नाम हटवाने के लिये मुझसे स्वयं के लिये तथा श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण से मेरे मुकदमे में मेरी मदद करवाने के लिए एसएचओ के नाम से 100000/-रूपये की रिश्वत मांग कर रहा है, मैं, डॉ देवेन्द्र कुमार देव, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल बहरोड जिला कोटपूतली- बहरोड एवं थानाधिकारी बनवारी लाल पुलिस थाना मांढण को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उन्हे रिश्वत लेते हुये एसीबी से पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा अवगत करवाये गये उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी को उक्त के खिलाफ कार्यवाही करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय अलवर उपस्थित होने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया की मेरे अभी लू लगी हुई है तथा गर्मी का मौसम है अगर मैं गर्मी के ऐसे मौसम में अलवर आउगा तो मेरी तबीयत और अधिक खराब हो सकती है इसलिय आपके कार्यालय सें किसी कर्मचारी /अधिकारी को बहरोड भिजवा दो मै आपके विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को मेरा प्रार्थना पत्र दे दूंगा। इस पर परिवादी को ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में समझाईस की गई एवं परिवादी को बहरोड में ही मुकिम रहने व गोपनीयता की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी द्वारा अवगत करवाये गये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मामला रिश्वत लेन देने का पाये जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक जो अन्य राजकार्य से बजानिब बहरोड गये हुये को उपरोक्त फिकरा क्रम में सूचना से अवगत करवाकर परिवादी श्री बिल्लू यादव से बहरोड में सम्पर्क करने हेतु जरिये मोबाईल/वाटसअप निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.00 पी0एम पर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक ने जरिये मोबाईल/वाटसअप मन उप अधीक्षक को अवगत कराया की आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री बिल्लू से वार्ता की गई जो कस्बा बहरोड में उपस्थित मिला तो परिवादी द्वारा डॉक्टर देवेन्द्र कुमार देव चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बहरोड ने उक्त प्रकरण की एमएलसी में कम चोटे दिखाने और केस को हल्का करवाने एवं परिवादी की पुत्री पुष्पा का नाम हटवाने के लिये मुझसे स्वयं के लिये तथा श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण से मेरे मुकदमे में मेरी मदद करवाने के लिए एसएचओ के नाम से 100000/-रूपये की रिश्वत मांग कर रहा है, उक्त रिश्वत राशि मांग करने के संबंध में परिवादी ने प्रार्थना पत्र मुझे दिया है तथा परिवादी उपरोक्त दोनो आरोपियों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाना चाहता है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र वाटसअप पर भेजने के निर्देश दिये एवं प्रार्थना पत्र को स्वयं के पास सुरक्षित रखने की हिदायत सहायक उप निरीक्षक को दी गई तथा परिवादी को अपने साथ रखने एवं गोपनीयता की हिदायत दी गई । तत्पश्चात वक्त करीब 3.20 पीएम पर परिवादी श्री बिल्लू यादव द्वारा सहायक उप निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार को बहरोड मे सुपुर्दशुदा प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिए वाटसअप प्राप्त हुआ जिसमें परिवादी श्री बिल्लू यादव पुत्र श्री अमीलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापसिंह पुरा तहसील नीमराना पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के नाम संबोधित एक लिखित प्रार्थना मन उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया की मेरे साथ मेरे पडोसी सीताराम व उनके परिवार के साथ दिनांक 25.03.2024 को आपस में लडाई झगडा हो गया था जिस पर हम दोनो पक्षो ने पुलिस थाना नीमराना में मेरे खिलाफ सीताराम ने मु.नं 158/2024 दर्ज करवाया था। इस मुकदमें की पहले श्री ओमप्रकाश एएसआई जांच कर रहे थे अब श्री बनवारी लाल एसएचओ बनवारी मांढण द्वारा जांच की जा रही है। इस मुकदमे में एमएलसी में कम चोटे दिखाने केस को हल्का करवाने व मेरी पुत्री पुष्पा का नाम कटवाने के लिये बहरोड जिला अस्पताल के डॉक्टर देवेन्द्र कुमार देव द्वारा अपने

खुद के लिये व एसएचओ मांढण श्री बनवारी लाल के लिये एक लाख रूपये की रिश्वत मांग रहा है। डॉक्टर ने मुझसे कहा की एसएचओ मांढण बनवारी लाल मेरा दोस्त है उसको मैं फोन कर दूंगा आप वो एक लाख मुझको देकर जाओ मै डॉक्टर देवेन्द्र कुमार देव को व एसएचओ मांढण बनवारी लाल को रिश्वत नही देना चाहता हूं उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा उनसे कोई उधार का लेनदेन बकाय नही है, और ना ही उनसे मेरी कोई दुश्मनी है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे, मै मेरे द्वारा लिखित शिकायत पर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हू। प्रार्थी एसडी बिल्लू उर्फ श्योताज पुत्र श्री अमीलाल जाति यादव निवासी प्रतापसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड (राज) मोबाईल नम्बर [redacted]परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर परिवादी से जरिये फोन दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया की उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्त लिखित होना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने यह भी बताया की संदिग्ध आरोपी डॉ देवेन्द्र कुमार देव, चिकित्सा अधिकारी से कोई पुरानी रंजिश व उधार का लेन देन बकाया नही होना बताया तथा उक्त के खिलाफ एसीबी में कार्यवाही बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से करवाना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत लेन देन का पाये जाने पर वक्त करीब 4.00 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी से विभागीय जिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया एसडी मैमोरी कार्ड 32 जीबी सैन्डिक्स डालकर उसे चालू कर खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री रामजीत कानि. नं 206 को सुपुर्द कर परिवादी से हुई मोबाईल वार्ता व वाट्सअप पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के तथ्यो से अवगत करवाकर ब्यूरो कार्यालय से बहरोड में उपस्थित श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक व परिवादी से सम्पर्क कर वास्ते मांग सत्यापन बजानिब बहरोड रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.00 पीएम पर श्री नरेन्द्र कुमार सउनि ने मन उप अधीक्षक को जरिये फोन बताया की श्री रामजीत कानि. बहरोड उपस्थित आ गया है। जिनका परिवादी से परिचय करवा दिया गया है। परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधी समझाईस कर दी गई है। इस पर मन उप अधीक्षक ने श्री रामजीत कानि. को परिवादी के साथ जाकर मांग सत्यापन करवाने हेतु रवाना करने व बाद वापसी मांग सत्यापन के हालात बताने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.00 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक ने अवगत कराया की आपके निर्देशानुसार श्री रामजीत कानि. नम्बर 206 द्वारा अपने साथ लाये गये विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री रामजीत कानि. 206 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह डॉ. देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बहरोड के पास जाकर उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में मैडीकल रिपोर्ट (एमएलसी) में साधारण प्रकृति की चोट दिखाकर साधारण एमएलसी रिपोर्ट तैयार करने एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण से मुकदमें में मदद करवाने कें सम्बन्ध में उक्त द्वारा स्वयं के लिये व थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण के लिये की जा रही रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता करे तथा संदिग्ध आरोपी से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें की हिदायत के साथ परिवादी बिल्लू उर्फ श्योताज के साथ ब्यूरों के श्री रामजीत कानि. को जाने के निर्देष कर श्री रामजीत कानि. 206 को हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के साथ आस-पास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। तत्पष्चात परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज व श्री रामजीत कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी डॉ देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी उप चिकित्सालय बहरोड के पास जाने हेतु परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री रामजीत कानि. द्वारा परिवादी से सुपुर्दशुदा टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मय परिवादी रिश्वति मांग सत्यापन कर उपस्थित आये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने मोबाईल पर ही परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया की आपके निर्देशानुसार आपके कर्मचारी के साथ मै मेरी मोटरसाईकिल से हाईवे बहरोड से रवाना होकर जिला चिकित्सालय के पास स्थित विजय लैबॉट्री के पास पहुंचे जहां पर आपके कर्मचारी रामजीत ने मुझे विभागी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर मुझे डॉक्टर देवेन्द्र देव के पास विजय लैबॉट्री पर रवाना किया तथा रामजीत लैबॉट्री के बाहर थोडी दूरी पर ही रूक गया। इसके बाद मै विजय लैबॉट्री पहुंचा तो डॉक्टर साहब लैबॉट्री पर नही मिलने पर मैने लैबॉट्री वाले से नम्बर प्राप्त कर डॉक्टर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted]पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted]से फोन कर डॉक्टर देवेन्द्र देव, चिकित्सा अधिकारी, को लैबॉट्री पर बुलाया और डॉक्टर साहब के आने पर मैने डॉक्टर साहब से मेरे विरूद्ध दर्ज केस में एमएलसी पर हल्की राय देने व केस में अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना मांढण से मेरी पुत्री का नाम निकलवाने के संबंध मे बातचीत की तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है कि एमएलसी में तेरे खिलाफ सामान्य मारपीट की धारा बनेगी और 325 आईपीसी से उपर नही लगेगी 307 नही लगेगी और बच्ची का नाम भी निकाल देगे, थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण बनवारी मेरा दोस्त है। मै उसको फोन कर देता हूं। इस पर डॉक्टर साहब ने मेरे सामने ही थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी लाल को फोन किया और उसे कहा की इसकी बच्ची का नाम निकालना है, 307 नही बनती

है, ये आपसे आकर मिलेगा। इसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा की एमएलसी की गारन्टी मेरी है, थानाधिकारी को फोन कर दिया है आप उनसे जाकर मिल लो और डॉक्टर साहब ने सत्यापन के दौरान ही मेरे से 5000/- रूपये ले लिये है, उक्त बातें मैने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी व डॉक्टर के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता अनुसार थानाधिकारी मांढण श्री बनवारी से भी रिश्वत की मांग सत्यापन करवाई जाने के संबंध में परिवादी से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा थानाधिकारी से बात करने के लिये पूछा तो परिवादी ने बताया की सर आज तो देर हो गई है, आप स्टाफ को दिनांक 28.05.2024 को सुबह 8.00 एम पर बहरोड भेज देना मै थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी से रिश्वत मांग का सत्यापन की कार्यवाही करवाने के लिये चला जाउगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत दी गई एवं श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक व रामजीत कानि. को परिवादी को बहरोड मे उसको अपनी सकूनत पर रवाना करने व दोनो को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज के हमराह बहरोड से गया हुआ श्री रामजीत कानि. एवं श्री नरेन्द्र कुमार सउनि के ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री रामजीत कानि. ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पष्चात श्री रामजीत कानि ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं बहरोड हाईवे पर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक व परिवादी के पास पहूंचा जहां पर श्री नरेन्द्र कुमार सउनि साहब द्वारा परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज से मेरा परिचय करवाया गया तथा परिवादी को विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर को चलाने व बन्द करने की विधि समझाई गई बाद समझाईस आपके निर्देशानुसार मै परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से बहरोड हाईवे से रवाना होकर जिला चिकित्सालय बहरोड के पास विजय लैबॉट्री के पास पहुंचे, तो परिवादी ने मुझे बताया की डॉक्टर साहब विजय लैबॉट्री में ही मिलेगे। इस पर मैने ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर लैबॉट्री के अन्दर चला गया था। मै विजय लैबॉट्री के आस पास मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और मैने परिवादी से विभागीय रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बंद किया और अपने पास रख लिया । जहां परिवादी ने बताया की डॉक्टर से मेरी बातचीत हो गई है डॉक्टर ने कहा है कि एमएलसी में तेरे खिलाफ सामान्य मारपीटी की धारा बनेगी और 325 आईपीसी से उपर नही लगेगी 307 नही लगेगी और बच्ची का नाम भी निकाल देगे, थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण बनवारी मेरा दोस्त है। मै उसको फोन कर देता हूं। इस पर डॉक्टर साहब ने मेरे सामने ही थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी लाल को फोन किया और उसे कहा की इसकी बच्ची का नाम निकालना है,307 नही बनती है, ये आपसे आकर मिलेगा। इसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा की एमएलसी की गारन्टी मेरी है। थानाधिकारी को फोन कर दिया है आप उनसे जाकर मिल लो और डॉक्टर साहब ने मेरे से 5000/- रूपये सत्यापन के दौरान ही ले लिये है, उक्त बातें परिवादी ने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना बताया है। इस पर मै परिवादी के साथ वहा से रवाना होकर बहरोड हाईवे पर श्री नरेन्द्र कुमार सउनि के पास उपस्थित आये व आपको मांग सत्यापन से संबंधित तथ्य ज़रिये फोन परिवादी व हमारे द्वारा निवेदन किये गये। आपके निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर बहरोड में ही छोडा जाकर आपके पास उपस्थित आये। तत्पष्चात मन उप अधीक्षक पुलिसने श्री रामजीत कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी डॉ. देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज से रिश्वत के प्राप्त करने के लिये सहमत होना थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण से बातचीत करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी से 5000/- प्राप्त करना एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी लाल से परिवादी के धारा 307 नही बनना तथा परिवादी की बच्ची का नाम निकालने की बातचीत करना व परिवादी से थानाधिकारी से मिलने के तथ्य रिकॉर्ड होना पाये गये। विभागीय वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर मन पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.05.2024 वक्त करीब 7.50 एएम पर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी डॉ. देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी के मध्य हुई वार्तानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के संबंध में परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया की " साहब मेरी आज सुबह सुबह किसी अन्य फोन से एसएचओ साहब मांढण से बात हुई तो एसएचओ साहब ने बताया की मेरे पास कल शाम को डॉक्टर देवेन्द्र जी का फोन आया था, उन्होन मुझे आपकी लडकी का नाम केस से निकालने के संबंध में बातचीत की और बताया की आप मुझसे मिलने मांढण थाने पर आयेगें इस पर मैने थानेदार साहब से मांढण थाने पर आने के लिये पूछा तो थानेदार साहब ने कहा की आज मेरी शहादत होने से मुझे बाहर जाना है आज तो शाम को 6 बजे बाद ही आना होगा इसलिये आप या तो मुझसे कल मिलो या फिर डॉक्टर साहब से ही मिल लो आपके केस के सबंधं में सारी बातचीत मेरी डॉक्टर देवेन्द्र जी से हों गई है। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से थानाधिकारी मांढण के कहे अनुसार डॉक्टर देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी से पुनः मांग सत्यापन कराने हेतु कहा तो परिवादी ने कहा साहब बहुत तेज गर्मी पड रही है, मै अलवर नही आ सकता हूं। आप अपने स्टाफ को टेप रिकॉर्डर देकर 12.00 बजे तक बहरोड भेज दो, डॉक्टर साहब 1 बजे तक सरकारी हॉस्पिटल से फ्री होकर विजय लैबोरट्री पर आते है। मेरी एसएचओ साहब मांढण से फोन पर हुई वार्ता अनुसार रिश्वत का मांग सत्यापन करवाने हेतु दुबारा डॉक्टर देवेन्द्र जी के पास चला जाउगा। परिवादी को आवश्यक समझाईस/हिदायत दी गई एवं 12.00 बजे तक बहारोड हाईवे चौक पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। वक्त

करीब 10.00 एम पर परिवादी से हुई वार्ता अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक एवं श्री रामजीत कानि. को विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर मुनासिफ हिदायत के साथ परिवादी के पास बहरोड रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.00 पी.एम. पर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज ने रामजीत कानि. के मोबाईल से मन उप अधीक्षक से वार्ता कर बताया की आपके निर्देशानुसर आपका कर्मचारी श्री रामजीत व श्री नरेन्द्र कुमार मुझे बहरोड कस्बे में हाईवे पुलिया के नीचे मिल गये। जहा से श्री नरेन्द्र कुमार ने मेरे साथ आपके कर्मचारी श्री रामजीत कानि.को टेपरिकॉर्डर के साथ लेकर मेरी मोटरसाईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु डॉक्टर देवेन्द्र देव के पास रवाना कर दिया था और श्री नरेन्द्र कुमार पुलिया के नीचे ही रूक गये। हम दोनो वहा से रवाना होकर सरकारी हॉस्पिटल बहरोड के पास विजय लैबॉट्री के पास पहूचें और मैने डॉक्टर साहब के बारे में मालूम किया तो डॉक्टर साहब लैबॉट्री नही थे। कुछ समय बाद डॉक्टर देवेन्द्र देव लैबॉट्री पर आ गया। इस पर आपके कर्मचारी ने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे दे दिया और मै आरोपी डॉ. देवेन्द्र देव के पास गया और आपका कर्मचारी वही पर रूक गया इसके बाद मै लैबॉट्री पहूंचा तो डॉक्टर देवेन्द्र देव मुझे बैठे मिले जिनसे मैने राम राम कर मेरे केस के संबंध उनको बताया की मेरे से थानाधिकारी श्री बनवारी से आज सुबह फोन पर बात हुई है तो उन्होने मुझे आपसे मिलने के लिये कहा और थानेदार साहब ने कहा है जो डॉक्टर साहब तय कर लेगे वो ही फाईनल है। इस पर डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा की तुझे चिन्ता करने की आवश्यकता नही है, तेरी बेटी का नाम भी निकाल देगे और 307 नही लगने दूंगा 325 मे तेरी जमानत बनवारी ही भरेगा तुझे वकील से बातचीत करने की आवश्यकता नही है। तेरी एमएलसी भी हल्की बना देगे। इस पर मैने डॉक्टर साहब से कहा की आप थानेदार साहब से बात करलो। इस पर डॉक्टर साहब ने अपने फोन से थानेदार पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी से "बातचीत की तो डॉक्टर साहब से कहा सुबह आ जाना रिपोर्ट तो तैयार है, लेकिन इसकी बच्ची का नाम हटाना है पढने लिखने वाली बच्ची है अनुसंधान में ध्यान रखना है।मेरी बेटी का नाम हटाने एवं साधारण धारा लगाने के संबंध में बातचीत की और बाद बातचीत मुझे डॉक्टर साहब ने कहा की बनवारी कल सुबह 9.00 बजे मेरे पास आयेगा तू कुछ लेकर आया है तो दे जा। इस पर मैने कहा साहब आप बताओ कितने देने है तो डॉक्टर साहब ने कहा 100000/- (एक लाख) रूपये देने की बात की इस पर मैने कहा की साहब मै कल सुबह लेकर आ जाउगा तो डाक्टर साहब ने कहा तू कल सुबह आ जाना । मैने उक्त सभी वार्ता आपके विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड कर ली है। इस पर परिवादी से मन उप अधीक्षक ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया की अभी मेरे पास 30000/-रूपये है, शेष राशि की व्यवस्था करके अभी दो घण्टे में आपके कर्मचारी के साथ आ जाउगा या सुबह 7.00 बजे तक आपके पास आपके कार्यालय में अलवर आ जाउगा। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी से 30000/- रूपये श्री रामजीत कानि. को दिलवाये गये और श्री रामजीत कानि. को निर्देश दिये की आप नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक के पास पहूंचकर परिवादी का बहरोड में ही इन्तजार करो यदि परिवादी अभी शेष राशि की व्यवस्थ करके लेकर आता है तो उसे साथ में लेकर आने एवं अन्यथा परिवादी से प्राप्त 30000/- रूपये सुरक्षित लेकर आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 11.30 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज के हमराह बहरेड से गया हुआ श्री रामजीत कानि. एवं श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री रामजीत कानि. ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पष्चात श्री रामजीत कानि ने बताया कि आपके निर्देषानुसार श्री नरेन्द्र कुमार सउनि के हमराह ब्यूरो कार्यालय से मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रवाना होकर बहरोड हाईवे पुलिया के नीचे पहुंचे वहा पर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज हमें बहरोड हाईवे पर खडा मिला। जिसके साथ मै आपके एवं श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी की मोटर साईकिल पर बहरोड हाईवे से रवाना होकर जिला चिकित्सालय बहरोड के पास स्थित विजय लैबॉट्री के नजदीक पहुंचे, जहां पर परिवादी ने आरोपी डॉक्टर देवेन्द्र देव के बारे मे जानकारी की तो आरोपी डॉक्टर लैबॉट्री पर नही आना पाया गया। जिस पर हम दोनो ने वही पर आरोपी के आने का इन्तजार किया और कुछ समय बाद डॉक्टर देवेन्द्र देव विजय लैबॉट्री पर आ गया। इस पर मैने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपर्द कर डॉक्टर देवेन्द्र देव के पास रवाना कर दिया और मै. वही लैबॉट्री के पास मुकिम रहा परिवादी विजय लैबॉट्री के अन्दर चला गया। कुछ समय बाद परिवादी लैबॉट्री से बाहर निकलकर मेरे पास आया। जिससे मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रख लिया और परिवादी ने मुझे बताया की डॉक्टर साहब मुझे लैबॉट्री मे बैठे मिले जिनसे मैने राम राम कर मेरे केस के संबंध बातचीत कर डॉक्टर साहब को बताया की मेरे से थानाधिकारी श्री बनवारी से आज सुबह फोन पर बात हुई है तो उन्होने मुझे आपसे मिलने के लिये कहा और थानेदार साहब ने कहा है जो डॉक्टर साहब तय कर लेगे वो ही फाईनल है। इस पर डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा की तुझे चिन्ता करने की आवश्यकता नही है, तेरी बेटी का नाम भी निकाल देगे और 307 नही लगने दूंगा 325 मे तेरी जमानत बनवारी ही भरेगा तुझे वकील से बातचीत करने की आवश्यकता नही है, तेरी एमएलसी भी हल्की बना देगे। इस पर मैने डॉक्टर साहब से कहा की आप थानेदार साहब से बात करलो। इस पर डॉक्टर साहब ने अपने फोन से थानेदार पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी से बातचीत की तो डॉक्टर साहब ने थानाधिकारी श्री बनवारी से कहा कि सुबह आ जाना रिपोर्ट तो तैयार है, लेकिन इसकी बच्ची का नाम हटाना है पढने लिखने वाली बच्ची है

अनुसंधान में ध्यान रखना है।मेरी बेटी का नाम हटाने एवं साधारण धारा लगाने के संबंध में बातचीत की और बाद बातचीत मुझे डॉक्टर साहब ने कहा की बनवारी कल सुबह 9.00 बजे मेरे पास आयेगा तू कुछ लेकर आया है तो दे जा। इस पर मैने कहा साहब आप बताओ कितने देने है तो डॉक्टर साहब ने कहा 100000/- (एक लाख) रूपये देने की बात की है और डॉक्टर साहब ने मुझे कल सुबह 100000/- रूपये लेंकर बुलाया है। बाद सत्यापन परिवादी की बात मैने आपसे मोबाईल पर करवा दी थी तथा निर्देशानुसार परिवादी को एक लाख रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था हेतु रवाना कर दिया था तथा परिवादी को दिनांक 29.05.2024 सुबह पैसे लेकर आने हेतु पाबन्द कर दिया था। तत्पष्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रामजीत कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी डॉ. देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज से अपराध संख्या 158/24 पुलिस थाना नीमराना मे दर्ज मुकदमे में परिवादी पुत्री का नाम हटाने एवं एमएलसी पर साधारण धाराओं की राय देने की एवज में अपने एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण श्री बनवारी से टेलीफोन पर वार्ता कर एसएचओ मांढण से हुई वार्तानुसार एक लाख रूपये की रिश्वत मांगने की वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई है। परिवादी द्वारा दी गई रिश्वति राशि 30000/- रूपये को लिफाफे में रखकर मन पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। विभागीय वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 24.06.2024 को वक्त करीब 1.55 पीएम पर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव पुत्र श्री अमीलाल, जाति अहीर, उम्र 45 साल, निवासी प्रतापसिंहपुरा, तहसील व थाना नीमराणा, जिला कोटपूतली-बहरोड ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी बिल्लू उर्फ श्योताज यादव ने मन उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए0सी0बी0 अलवर को सम्बोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मैंने दिनांक 27.05.2024 को बहरोड में आपको बताई गई शिकायत के क्रम में आपसे हुई वार्ता के अनुसार आपके कार्यालय के नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को डॉ. देवेन्द्र कुमार देव जिला अस्पताल बहरोड द्वारा मेरे से अपने स्वयं के लिए व एसएचओ मांढण जिला कोटपूतली बहरोड के लिए रिश्वत मांगने पर उक्त को एसीबी से ट्रेप करवाने हेतू लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था और मैनें डॉ. देवेन्द्र कुमार देव द्वारा मेरे से रिश्वत मांगने बाबत मैने डॉ. देवेन्द्र कुमार देव से वार्ता कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया था। तब डॉ. देवेन्द्र कुमार देव ने मेरे से स्वयं के लिए व एसएचओ मांढण श्री बनवारी लाल के लिए एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी। मेरे पास एक लाख रूपये की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं उस समय आपके कार्यालय में अलवर नहीं आ सका और आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक लाख रूपये की व्यवस्था करने में लग गया। मेरे पास एक लाख रूपये की व्यवस्था नहीं होने से मैं एसीबी कार्यालय अलवर नहीं आया और घर के जरूरी कार्यो में व्यस्त हो गया इसी दौरान डॉ. देवेन्द्र कुमार देव को मेरे द्वारा एसीबी मे उसके खिलाफ करवाई जा रही कार्यवाही में शक हो जाने से उसके जानकार मेरे को कहने लगे की आपने डॉ. देवेन्द्र कुमार देव जी के खिलाफ एसीबी में कोई शिकायत की है, तथा डॉ. देवेन्द्र कुमार देव के जानकार कहने लगे कि डॉ. साहब तेरे से रिश्वत के पैसे नहीं लेंगे। अतः श्रीमान जी मेरे द्वारा डॉ. देवेन्द्र कुमार देव के विरूद्ध एसीबी से करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का उसको शक हो जाने के कारण अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। इसलिए डॉ. देवेन्द्र कुमार देव के विरूद्ध मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही पर ही इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें तथा मेरे 30,000/- रूपये लौटाने की कृपा करे। परिवादी ने यह भी बताया कि उसके पास डॉक्टर देवेन्द्र कुमार देव द्वारा मांगी गई एक लाख रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने के कारण व आरोपी डा0 देवेन्द्र कुमार देव को ए0सी0बी0 की कार्यवाही का शक हो जाने से एवं शेष रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने के कारण वह ब्यूरों कार्यालय अलवर में नही आ सका तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 2.10 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उपायुक्त वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्र गवाह इसी समय तत्काल ब्यूरों कार्यालय अलवर में भिजवाने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर श्री महेश कुमार कानि. को वाणिज्यिक कर विभाग अलवर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 2.20 पी.एम पर श्री महेश कुमार कानि. के हमराह वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर से तलबषुदा गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक वृत-स वाणिज्यिक कर विभाग अलवर एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत-स वाणिज्यिक कर विभाग अलवर, ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित आये। आमदा उक्त दोनों गवाहान का परिचय ब्यूरों कार्यालय अलवर में मौजूद परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव से करवाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान सर्व श्री गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक वृत-स वाणिज्यिक कर विभाग अलवर एवं लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत-स वाणिज्यिक कर विभाग अलवर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव द्वारा दिनांक 27.05.2024 को कस्बा बहरोड में श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं आज दिनांक 24.06.2024 को मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही की अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई वक्त करीब 2.45

पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव की उपस्थिति में परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव व संदिग्ध आरोपी डा0 देवेन्द्र देव, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 27.05.2024 एवं 28.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव ने अपनी स्वयं की आवाज की एवं आरोपी डा0 देवेन्द्र देव, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई तथा परिवादी के बतायेनुसार मूल रिकार्ड वार्ताओं का हिन्दी रूपान्तरण किया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से श्री रामजीत कानि0 206 से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों डीवीडीयों पर मार्क "ए-1", मार्क "ए-2" एवं मार्क "ए-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी/डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB मे दिनांक 27.05.2024 एवं 28.05.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S (एस) अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 24.06.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं सिल्डषुदा डीवीडी मार्क ए-1 व ए-2 एवं एसडी कार्ड मार्क S (एस) को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चाता वक्त करीब 7.30 पीएम पर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को ब्यूरो को दी गई 30,000/- रूपये की रिश्वति राशि को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उक्त 30,000/- रूपये की राशि प्राप्ती बाबत हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव को सुपुर्द किये गये। बाद आवष्यक हिदायत देकर परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अपनी अपनी सकूनत पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 910 दिनांक 25.06.2024 से ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित करने के उपरान्त ब्यूरो मुख्यालय द्वारा जरिये पत्रांक 13872-74 दिनांक 4.10.2024 से इस कार्यालय को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जयपुर देहात के कार्यालय से उक्त परिवादी एवं आरोपी से संबंधित रिपोर्ट एवं अलवर कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट दोनो में सामान आरोपी व समान परिवादी होने से एएसपी देहात से परिवादी की शिकायत एवं सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर दोनो रिपोर्टो का सार अंकित कर अनुशंषा रिपोर्ट भेजने के निर्देश प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 1367 दिनांक 6.11.2024 को विशेष वाहक के साथ श्रीमान एएसपी देहात कार्यालय भिजवाया जाकर श्रीमान एएसपी देहात द्वारा जरिये पत्रांक 929-30 दिनांक 7.11.24 से परिवादी की शिकायत व रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई गई। प्राप्त शुदा रिपोर्ट अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामिण के द्धारा परिवादी द्धारा पेश की गई शिकायत पर उनके द्धारा की कार्यवाही निम्न प्रकार से है दिनांक 28.05.2024 को समय करीब 9.00 पीएम पर श्रीमान् उप महानिरीक्षक-द्वितीय भ्र0नि0ब्यूरो, ने जरिये टेलीफोन परिवादी श्री बिल्लू नाम के मो0नं0 [redacted] देकर वार्ता करने हेतु कहा गया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये टेलीफोन परिवादी श्री बिल्लू से वार्ता की गई तो उसने बताया कि वह अपने चाचा के रजिस्टर्ड गोद गया हुआ है तथा चाचा की जमीन के हिस्से के लिए मेरे भाई व रिश्तेदारो से विवाद हो रखा है मेरे एवं सीताराम के बीच मारपीट हो गई थी जिस पर मेरे विरूद्ध थाना नीमराना पर मुकदमा नम्बर 158/2024 दर्ज हुआ था तथा मेरी रिपोर्ट पर थाना नीमराना ने कोई मुकदमा दर्ज नही किया जिस पर मैने कोर्ट मे इस्तगासा पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है दिनांक 27-5-2024 को जब मै डाक्टर से दवाई लेने बहरोड़ अया था तब उसके कमरे मे डॉ. देवेन्द्र देव मिला था तब मैने डाक्टर देवेन्द्र देव से मुकदमा नम्बर 158/2024 मे दुबारा मेडिकल के संबंध में पूछा था तब उसने कहा था कि वो पार्टी मेरे से मिल गयी आप लेट आये हो आपकी मदद कर दूगा

आप मेरे को एक लाख रूपये दे देना अब कुछ लाये हो तो दे जाओ तो मैने 25000/- रूपये डाक्टर देवेन्द्र देव को दे दिए। अब मै दिनांक 29-5-2024 को पुनः मिलने जाउंगा तो वह मेरे से रिश्वत के शेष बजे 75000/- रूपये लेगा परिवादी द्वारा बताई गई बातो से मामला रिश्वत मांग एवं रिश्वत लेन देन का पाया जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसको ट्रेप कार्यवाही के बारे समझाईश करने के उपरान्त उससे रिश्वत राशि मे देने हेतु 75000/- रूपये की व्यवस्था होने के बारे मे पूछा तो परिवादी श्री बिल्लू ने बताया कि वह एक गरीब आदमी है अभी उसके पास केवल 15000/- रूपये की व्यवस्था ही है तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसको समझाईश की गई कि ब्यूरो में डमी नोट के द्वारा भी ट्रेप कार्यवाही की जाती है। तब परिवादी ने कहा कि आप कल दिनांक 29-5-2024 को सुबह जल्दी मेरे पास आ जाओ। तत्पश्चात दिनांक 29.05.2024 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फिकरावाला का रवाना शुदा बहरोड़ पहूंचा जहां पर परिवादी श्री बिल्लू उपस्थित मिला जिसको मन अति.पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए अपने हमराहीयान टीम तथा स्वतंत्र गवाहान के बारे में अवतग कराया तथा परिवादी का पूरा नाम पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम बिल्लू S/o अमिलाल जाति अहिर उम्र 45 साल नि0 प्रतापसिंहपुरा त. नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड़ मो. [redacted] होना बताया। तत्पश्चात परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अंकित किया है कि "सेवा मे, श्रीमान्जी अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक A.C.B चौकी जयपुर देहात विषय-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मै प्रतापसिंहपुरा मे रहता हुं मेरे खिलाफ एक मुकदमा निमराना थाना मे दर्ज हुआ है जिसका नम्बर 158/024 है जो सिताराम S/0 सतिश ने दर्ज करवाया था मेरे ओर सिताराम के बिच मारपीट हो गई थी जिसमे हमारे दोनो के चोटे आई थी जिस पर निमराना थाने वालो ने सिताराम का मुकदमा दर्ज कर लिया मेरा किया नही जिस मैने कोर्ट मे ईस्तगासे से दर्ज करवाया है जिस पर 158 थ्पप्णत्ण् की जांच मांडन थाना अधिकारी को दे दी। उक्त मुकदमे मे सिताराम का कोर्ट के आदेश से दुबारा बहरोड़ अस्पताल मे मेडिकल हुवा है, मेडिकल रिपोर्ट मे कम चोट दिखाने के लिए बहरोड़ सरकारि अस्पताल का डाक्टर देविन्द्र देवा मेरे से 100000 (एक लाख) रूपये मांग रहा है तथा थानाधिकारी मांढन बनवारी से भी मरे सामने मोबाईल पर वार्ता कर कहा था की बिल्लू (मेरा) का हल्का कर देना कार्यवाही नही करना। 27/05/024 को श्याम को 25000 रूपये ले लिए डाक्टर देवेन्द्र देव ने ले लिए ओर 75000 रूपये की मांग स्वयं व थाना अधिकारी बनवारी के लिए कर रहा है बनवारी से मिलवाने की बात कर रहा है और रूपये साथ लाने की बात कह रहा है मे उक्त डाक्टटर देवेन्द्र देव तथा बनवारी लाल ठैण्भ्ण्ण् मांडन को रिश्वत 75000 नही देना चाहता हूं और रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हुं मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही की कृपा करें। प्रार्थी एसडी/- बिल्लू S/o अमिलाल जाति अहिर उम्र 45 साल नि0 प्रतापसिंहपुरा त. नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड़ दि. 29/05/024 मो. [redacted] परिवादी ने दरयाफत पर बताया कि मैं प्रतापसिंहपुरा में अपने चाचा अमीलाल के रजिस्टर्ड गोद गया हुं। मेरे चाचा अमीलाल के हिस्से की जमीन का विवाद मेरे पडौसियों, चाचा, ताउ से विवाद है मैं दिनांक 27.05.2024 को डाक्टर से दवाई लेने आया था तब उसके कमरे पर मैं डाक्टर से मिला था जहां पर मैने विरूद्ध दर्ज प्रकरण 158/24 पुलिस थाना नीमराणा के पीडितों के रीमेडिकल का वापस मुआयना करने के सम्बन्ध में डाक्टर देवेन्द्र देव से पूछा था तब उसने मुझे कहा था कि वो पार्टी मेरे से पहले मिल गयी आप लेट आये। आपकी मदद कर दूंगा जो मेरे से होगी।आप मेरे को एक लाख रूपये दे देना अब कुछ लाये हो तो दे जाओ तो मैने 25000/ रूपये दे दिए। परिवादी ने पहचान के लिए अपना आधार कार्ड तथा जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया । परिवादी से मजीद दरयाफत से मामला रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया जाकर नियमानुसार सत्यापन करवाया किया गया जिसमें संदिग्ध डाक्टर श्री देवेन्द्र देव द्वारा (100000/) एक लाख रूपये रिश्वत मांगना पाया गया तथा किसी मनोज को उसकी मेडिकल की दुकान पर देने बाबत संदिग्ध द्वारा कहना पाया गया इस पर बहरोड़ के आस पास ही किसी होटल में रूककर अग्रिम कार्यवाही करने व गोपनीयता बनाये रखने के लिए दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित किसी होटल में अग्रिम कार्यबाही करने का निर्णय लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ,स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा सरकारी वाहनों दिल्ली जयपुर हाइवे पर स्थित होटल शिवा ऑशियस पर पहूंचा जहां पर एक कमरा खुलवाया गया तथा अग्रिम टै्रप कार्यवाही आरम्भ की गई । तत्पश्चात परिवादी श्री बिल्लू पुत्र श्री अमीलाल, जाति अहीर, उम्र 45 साल निवासी प्रतापसिंहपुरा, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री बिल्लू ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये प्रस्तुत किए एवं बताया कि मैने आपको पूर्व में बता दिया था कि मेरे पास पन्द्रह हजार की ही व्यवस्था है इस पर कार्यालय में मौजूद डमी नोट जो हमराह साथ लाए गए थे जिन पर मनोरंजन बैंक ऑफ इण्डिया लिखा हुआ है देने का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर उक्त राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट राशि 15,000 तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 120 डमी नोट राशि 60,000 उक्त डमी नोटो पर क्न्ज्ञ 616850 लिखा हुआ है व कुल 75,000 रिश्वत राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 30

नोट कुल राशि 15,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 120 नोट कुल राशि 60,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने के लिए श्री वीरेन्द्र सिंह कानि0 451 के बैग में रखवाई गई फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 120 नोट कुल राशि 60,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों तथा कार्यालय से कार्यवाही हेतु साथ लाए गए अखबारो में से एक अखबार जिस पर जयपुर महानगर टाईम्स दिनांक 16 मई 2024 लिखा हुआ है पर श्री वीरेन्द्र सिंह कानि0 451 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त रिश्वती राशि को उक्त अखबार के लपेटे जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे रखवाए गये। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बानेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29-5-2024 को समय 1.15 होटल शिवा आऐशिश से रवाना होकर सरकारी अस्पताल बहरोड़ पर पहूंच ट्रेप जाल बिछाया गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी बिना कोई ईशारा किए सरकारी अस्पताल से बाहर निकल गया उसके पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहीयान के परिवादी के पीछे-पीछे सरकारी वाहनो के पास पहूंचकर परिवादी के पास पूर्व मे सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि डॉक्टर देवेन्द्र देव ने रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया और कहा कि तेरा बेटा आया था जो मुझे कोई रिकार्डिंग करने आदि की कह रहा था। चूंकि परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु अस्पताल के अन्दर डाक्टर के पास भिजवाया गया था जहां पर डाक्टर से परिवादी से रिश्वत राशि नहीं ली है तथा अस्पताल का समय भी खत्म हो गया है इस पर वापस होटल शिवा ऑशियस पर पहूचे। जहां पर परिवादी ने बताया कि परिवादी ने बताया कि मैं विभागीय डिवाइस रिकार्डर को चालूकरवाकर मय रिश्वति राशि के डाक्टर देवेन्द्र देव के पास गया तो वो मुझे कमरा न. 27 में मिले जहां पर डाक्टर श्री देवेन्द्र देव ने मुझे एक्स रे दिखाये तथा बताया कि सिम्पल चोट है फैक्चर नहीं है तथा तुम्हारा लडका सचिन मेरे पास आया था जिसने मुझे तथा मेरी पत्नी को कहा कि सावधान रहना पैसे मत लेना मैने काफी देर डाक्टर से वार्ता की तत्पश्चात डाक्टर ने मुझे बाहर बैठने के लिए कहा जिस पर मैं बाहर बैठ गया । थोडी देर बाद श्री बनवारीलाल थानाधिकारी मांडण भी वहां पर आया था और डाक्टर से वार्ता करके गया था तब मैं डाक्टर के कमरे के बाहर ही बैठा था । थानाधिकारी के जाने के बाद मैं डाक्टर के पास वापस गया था जिसने मुझे वापस भेज दिया । शायद मेरे बेटे ने मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में डाक्टर को बता दिया जिसके कारण ही डाक्टर ने मेरे से रिश्वत राशि नही ली अब उसको मेरे पर शक हो गया है इस कारण वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा इस पर परिवादी की जेब में रखी हुई रिश्वती राशि को निकलवाई जाकर एक सफेद कागज मे लपेट कर सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष विभागीय लेपटॉप में जोड़कर उसे बारी-बारी से सुना गया गया तो परिवादी द्वारा बताई गयी बातों की ताईद हुई। चूंकि संदिग्ध अधिकारी को परिवादी पर शक हो गया है और वह परिवादी से रिश्वति राशि नहीं प्राप्त करेगा। अतः परिवादी को मुनासिब हिदायत कर वही पर छोडकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरों कार्यालय के लिये रवाना होकर समय करीब 6.45 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहूंचे। दिनांक 31-5-2024 को परिवादी श्री बिल्लू एवं स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन देन से पूर्व वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडीया तैयार की जाकर माईक्रो एसडी कार्ड को जब्त किया गया। दिनांक 5-6-2024 को परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया है कि उसके द्वारा पूर्व में की गई शिकायत का उनको शक हो गया है अतः मेरे द्वारा पूर्व मे सुपुर्द की गई रिश्वती राशि के रूप मे दी जाने वाली 15000/- वापस लोटाए जाए। जिस पर परिवादी को उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए 15,000/- रूपये वापस लौटाए गए। इस प्रकार परिवादी श्री बिल्लू द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 29-5-2024 को करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व हुई रिकार्ड वार्ता की तैयार की गई फर्द ट्रांसक्रिप्ट से पाया गया कि जब परिवादी बिल्लू आरोपी डॉ. देवेन्द्र देव से अपने कार्य के संबंध में मिलता है तो परिवाद उसके विरूद्व थाना नीमराना मे दर्ज प्रकरण मे चोटो का न्यायालय के आदेश से पुनः मेडिकल कराने संबंधी वार्ता करता है तब परिवादी बिल्लू डॉ. देवेन्द्र देव से कहता है कि "कितना" तब डॉ. देवेन्द्र देव कहता है कि 'एक" तब परिवादी बिल्लू कहता है "हं" तब डॉ. देवेन्द्र देव कहता है कि "एक छोड़ जाना" तब परिवादी बिल्लू कहता है कि "एक लाख कम म ना" तब आरोपी कहता है कि "छोड़ जाउंगा हं न गांधी हाला न के नाम से" तब डॉ. देवेन्द्र देव कहता है कि "मनोज के पास" तब परिवादी बिल्लू कहता है कि "थमे ही आ जाईया न रोड़ हं" आदि वार्ताए होती है। दिनांक 29-5-2024 को रिश्वत लेन देन से पूर्व तब परिवादी श्री बिल्लू आरोपी डॉ. देवेन्द्र को रिश्वती राशि 75000/- रूपये जिसमें 15000/- रूपये भारतीय मुद्रा एवं 60000/- के डमी नोट देने के लिए जाता है परिवादी बिल्लू कहता है कि "हां" इस पर डॉ. देवेन्द्र देव कहता है कि "वो छोरा आया हा तेरा वाला" तब परिवादी बिल्लू कहता है कि "अच्छा" तब डॉ. देवेन्द्र देव कहता है कि "वो पता नही क्या कारड गा रहा था" इस परिवादी कहता है कि "के" इस पर डॉ. देवेन्द्र देव कहता है कि "कि आपकी रिकोर्डिंग कर रखी है र पैसे मत लेना अर ये करना मने कहा कौन कह रहा ऐसो क्या बात कर रहा था" आदि वार्ताए

करता है फिर वार्ता के दौरान डॉ0 देवेन्द्र देव ने कहा कि " थानेदार को वो उस चक्कर में तो वो पुलिस वाला इस चक्कर में तो थानेदार बाहर से चला गया" इस पर परिवादी कहता है कि " ह सुसरा बकवाश करी स मै के मै के नु परेशान होतो डोलु सु बहनचोद मोटर साईकिल उठार बैंक से पैसा लायो सु ह दिमाग खराब करे स" इस पर आरोपी कहता है कि " मेरा दिमाग खराब उस समय हो गया.."आदि वार्ताए की गई है। परिवादी द्वारा मन अति रिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किए गये प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मेडिकल रिपोर्ट मे कम चोट दिखाने के लिए बहरोड़ सरकारि अस्पताल का डाक्टर देविन्द्र देवा मेरे से 100000 (एक लाख) रूपये मांग रहा है तथा थानाधिकारी मांढन बनवारी से भी मरे सामने मोबाईल पर वार्ता कर कहा था की बिल्लू (मेरा) का हल्का कर देना कार्यवाही नही करना। 27/05/024 को श्याम को 25000 रूपये ले लिए डाक्टर देवेन्द्र देव ने ले लिए ओर 75000 रूपये की मांग स्वयं व थाना अधिकारी बनवारी के लिए कर रहा है बनवारी से मिलवाने की बात कर रहा है और रूपये साथ लाने की बात कह रहा है जिसके क्रम में दौराने मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता में पाया गया है कि परिवादी श्री बिल्लु जब डाक्टर देवेन्द्र देव से कहता है कि तो मै भी वादा मे खरो सु अब देखो थम तो खरा कर दो काम अर थानेदार वालो और करवाओ (तो मै भी वादा मे खरा हु अब देखो तुम तो खरा कर दो काम ओर थानेदार वालो और करवाओ) जिस पर डाक्टर देवेन्द्र देव कहता है कि करवा देगे आने वाला हो सके वो आयेगा भी आ जायेगा। (करवा देगे आने वाला हो सके वो आयेगा भी आ जायेगा) जिस पर परिवादी कहता है कि कन सी क आवेगा (कब आयेगा) प्रतिउत्तर में डाक्टर देवेन्द्र देव कहता है कि अब वो आ जाये थानेदार आ जाये तो पांच मिनट मे आ जाये नही तो उसने सुबह की कही थी सुबह आयेगा इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान थानाधिकारी थाना मांडण के सम्बन्ध में बातचीत करने के दौरान जब परिवादी श्री बिल्लु डाक्टर देवेन्द्र देव को कहता है कि अब थम थानेदार सु कर ल्यो बात (अब तुम थानेदार से कर लो बात) जिस पर डाक्टर श्री देवेन्द्र देव कहता है कि आ जायेगा वो आयेगा वो अरे आयेगा वो कहा जायेगा, आ जाने दे उसको कभी भी टेंशन मत ले काम कर रहा तो पैसे ले नही कर तो पैसे किस बात के बात खत्म टेंशन क्यो करता है फिर तेरे कहां समस्या है वो आयेगा जायेगा कहां अरे वो कही नही जायेगा आयेगा...लफडा था ना उसका कोई बडा लफडा थो उसे खत्म कर दिया मैने इसलिये परेशान इसलिये ज्यादा वो .. बातचीत के दौरान मोबाईल फोनों को सर्विलांस पर चलने की बात होने पर परिवादी ने डाक्टर देवेन्द्र देव को कहा कि वाटसअप कॉलिग कर ल्यो ना जिस पर प्रतिउत्तर में डाक्टर ने कहा कि अरे बेवजह टेंशन मत ले बार बार नही करू रात को फोन आया कह दिया रात ने कह दिया मस्त रह जिस पर परिवादी ने कहा कि मेरी बात कब करवाओगा जिसके प्रतिउत्तर में डाक्टर देवेन्द्र देव कहता है कि तेरी बात काम हुयो ओर बात खत्म दोनो बात क्लियर कर दी मैने... नही क्लियर कर बात है। इसी प्रकार रिश्वत लेन देन से पूर्व की रिकार्ड वार्ता में पाया गया है कि दौराने वार्ता जब परिवादी संदिग्ध डाक्टर को थानाधिकारी से वार्ता करने के लिए कहता है तो डाक्टर श्री देवेन्द्र देव कहता है कि थानेदार से अब नहीं करूंगा यार बात.....वो आके चला गया क्योंकि पुलिस वालो को लगता है गडबड है.... इस प्रकार परिवादी श्री बिल्लु द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अकिंत आरोपों की पुष्टि होती है। उपरोक्त की गई समस्त कार्यवाही एवं मौके के हालात से पाया गया की परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज यादव से श्री सीताराम यादव द्वारा पुलिस थाना नीमराणा में परिवादी श्री बिल्लू उर्फ श्योताज वगैरा के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 158/24 में मजरूबान का पुनः किये जाने वाले मेडिकल की एमएलसी में साधारण चोटे दिखाकर तथा अनुसंधान अधिकारी श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण से प्रकरण में साधारण चोटो की मैडीकल रिपोर्ट के माध्यम से धारा 307 हटवाने एवं परिवादी की पुत्री पुष्पा का नाम हटवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.05.2024 व 28.05.2024 को आरोपी डॉ. देवेन्द्र कुमार देव चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी से स्वयं एवं श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण जिला कोटपूतली बहरोड के लिए एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर 5000 हजार रूपये दौराने रिश्वत मांग सत्यापन के समय ही प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि परिवादी से बाद में प्राप्त करने के लिए सहमत होकर रिश्वत राशी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना व इसके बाद परिवादी द्वारा दिनांक 29-5-2024 को प्रस्तुत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जयपुर देहात को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर द्वारा दिनांक 29.5.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व परिवादी श्री बिल्लू एवं आरोपी डॉ0 देवेन्द्र देव सरकारी अस्पताल बहरो़ड के मध्य हुई वार्ता एवं परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमराना मे दर्ज मुकदमा संख्या 158/2024 में न्यायालय के आदेश से पुनः मेडिकल करने का कार्य पैण्डिग होने से पाया गया है कि इस प्रकार डॉ0 देवेन्द्र देव, चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पताल बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा अपने पदीय स्थिति का लाभ उठाकर परिवादी से स्वयं तथा थानाधिकारी माढंण श्री बनावारी लाल उप निरीक्षक के नाम से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है।आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार देव, चिकित्सा अधिकारी द्वारा दौरान सत्यापन दिनांक 27.05.2024 एवं 28.05.2024 व 29.05.2024 को श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण से कई बार परिवादी के कार्य तथा धारा 307 हटवाने व परिवादी की लडकी पुष्पा का नाम हटवाने के क्रम में वार्ता होना पाई गई है। अतः एसीबी चौकी अलवर प्रथम मे मन पुलिस उपअधीक्षक द्धारा परिवादी श्री बिल्लू से लिए गये प्रार्थना पत्र/शिकायत तथा दिनांक 29.05.2024 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर देहात को दिये गये प्रार्थना पत्र मे उनके द्धारा की गई कार्यवाही मे प्रार्थना पत्र मे अंकित शिकायत के तथ्य एक समान ही होना पाया जाता है तथा उक्त

दोनो शिकायतो मे की गई कार्यवाही मे समान आरोपी तथा शिकायत मे सत्यापन के दोरान उजागर हुए तथ्य भी एक समान ही होना पाये गये है। तथा दोनो शिकायतो मे अलग अलग कराए गए मांग सत्यापन के दौरान स्पष्ट रुप से आरोपी डाक्टर देवेन्द्र देव चिकित्सा अधिकारी द्धारा अपने स्वंम के लिए तथा थानाधिकारी मांढण श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक के लिए रिश्वत की मांग किया जाना स्पष्ट रुप से पाया जाता है तथा दिनांक 28.05.2024 एसीबी चौकी अलवर प्रथम के मांग सत्यापन के दौरान 5000/-हजार रुपये प्राप्त करना पाया गया है। अतः डॉ. देवेन्द्र कुमार देव पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद उम्र 52 निवासी ग्राम पोस्ट राजपुर बडा तहसील राजगढ, जिला अलवर हाल चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। संदिग्ध आरोपी श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण के सन्दर्भ में मेरी राय में दौराने अनुसन्धान निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। भवदीय (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. देवेन्द्र कुमार देव पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद उम्र 52 निवासी ग्राम पोस्ट राजपुर बडा तहसील राजगढ, जिला अलवर हाल चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 362 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1736-39 दिनांक 28-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/12/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)